पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–15/2010 (खण्ड–2) सो0–910

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 02/07/2018

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई जिला स्तर पर विकेन्द्रित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर अबतक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के एकीकृत विज्ञापन के आलोक में जिलों द्वारा नियोजन हेतु पैनल निर्माण किया जाता रहा है। जिलाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की आवश्यकताओं के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों की अधियाचना के आलोक में उन्हें भी जिला स्तर पर तैयार पैनल से कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया जाता रहा है।

वर्तमान में प्रवृत इस प्रक्रिया में निम्नवर्णित कठिनाईयाँ परिलक्षित हो रही हैः–

प्रत्येक जिले के लिये आवेदकों की संख्या में भिन्नता एवं जिले द्वारा अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया में भिन्नता, चयन की प्रक्रिया पूरी करने की गति में भिन्नता एवं विभिन्न जिलों द्वारा अलग–अलग आकार के पैनल का निर्माण के फलस्वरूप एक तरफ कुछ जिलों में पैनल की निर्धारित अवधि के पूर्व ही पैनल समाप्त हो जाता है, जबकि अन्य जिलों में तीन साल के पैनल अवधि की समाप्ति के बाद भी पैनल में अभ्यर्थी शेष रहते हैं। राज्य स्तर पर पैनल समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा कुछ–कुछ जिलों के लिये बार–बार विज्ञापन निकाला जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कई जिलों में कार्यपालक सहायकों के अभाव में कई विभागों से संबंधित कार्य बाधित होने की सूचना प्राप्त होती रहती है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में कार्यपालक सहायकों के नियोजन/पैनल निर्माण से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित करते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्थान पर सभी जिलों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार कार्यपालक सहायकों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने का दायित्व भी दिये जाने का निर्णय शासी परिषद द्वारा लिया गया है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक सहायकों के सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा उक्त नियोजन/पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन का प्रारूप (संलग्न) उपलब्ध ~~कराई~~ जा ~~रही~~ है। कराया (छः) रहा

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

2.7.18

(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक

24D:\PREM\MD LETTER.docx

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने एवं जिले के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर Executive Assistant (कार्यपालक सहायक) के पद पर संविदा पर नियोजनार्थ पैनल निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भारतीय नागरिकों से जिलावार ***Online*** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः–

1. **अहर्त्ता :–**

(i) आयु सीमा :–

Age	**UR**	**SC**	**ST**	**EBC**	**BC**	**Female (UR)**
Minimum	18	18	18	18	18	18
Maximum	37	42	42	40	40	40

अभ्यार्थियों के उम्र सीमा की गणना दिनांक–**01.08..........** के आधार पर की जायेगी।
विकलांग अभ्यर्थियों को संबंधित कोटि में अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट देय होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता का अद्यतन प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(ii) न्यूनतम योग्यता– आवेदक की शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक तथा उसे Computer Operating System (M.S.-Word, M.S.-Excel, M.S.-Power Point आदि) की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है।

(iii) उनके पास निम्न हार्डवेयर होना चाहिए जिसका उपयोग उन्हें नियोजन के कार्यालय में करना पडेगा :–

A.	CPU	Intel Core i3
	Chipset	Intel
	Memory	4 GB (minimum)
	Hard disk	500 GB
	Monitor	14"- LED (or higher)
	Operating System	Windows 7 (or higher)
	Additional Software	Microsoft office 2010 Adobe PDF Reader. Internet Security (Antivirus) of any Renowned company
	Browser	Google Chrome
	Additional Hardware	Optical Mouse Optical Keyboard
B	One Laser Printer	Black &White
C	One UPS	-
D	One Data Card for Internet	1 Mbps (minimum)

2. **मानदेयः–**

नियोजित होने पर अभ्यर्थी को प्रतिमाह कुल **₹**11345/–(ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालीस) की एक मुश्त राशि दी जायेगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगने वाली Consumable Items (पेपर, कार्टिज आदि) की आपूर्ति नियोजन के कार्यालय द्वारा की जायेगी। Internet Connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

3. **नियुक्ति अवधि :–**

नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे बढ़ायी जा सकेगी।

4. **पैनल वैधताः–**

पैनल की वैधता पैनल प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष तक होगी।

5. **चयन का आधार :–**

जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन कमिटी द्वारा पैनल तैयार किया जायेगा, जिससे नियमानुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

6. **आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः–**

आवेदन जिला के वेबसाईट.......................... पर उपलब्ध है, जिसे ***Online*** भरा जाना है। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन फोटो अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजातों/दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति काउन्सेलिंग के समय बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

7. **आवेदन *Online* भरने की अंतिम तिथि .... के अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित है।**
8. जिला को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर दे।

जिला पदाधिकारी

.............., बिहार